न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1— किरचन तनय स्व0 दिबिया सौंर , निग0 2561 -I/16

2— हल्के तनय स्व0 दिबिया सौंर

श्री .... द्वारा आज दि. 1/8/16 को प्रस्तुत

निबासी ग्राम तखा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1/8/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

...............आवेदकगण

वनाम

1— म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़,

2— पंचू तनय रंधीर यादव ,

निबासी अनंतपुरा, जिला टीकमगढ़ .... अनावेदकगण

R-V 1/8/16

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिताः—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी, न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क्र0 13/बी121/1987—88 में पारित आदेश दिनांक 05/12/1988 से परिवेदित होकर कर रहे हैं।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता दिबिया तनय अमान सौंर के नाम पर ग्राम तखा में खसरा नंबर 100 में रकबा 1.574 हैक्टेयर भूमि भूमि स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। इस भूमि के अलावा आवेदकगण के पिता के नाम से कोई भूमि नहीं थी। आवेदकगण अनुसूचित जाति के हैं । आवेदकगण के पिता बिना पडे लिखे थे जो कि अनावेदक क0 02 पंचू के यहां मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते थे।

3— यह कि आवेदकगण के पिता के बिना पड़े लिखे होने का नाजायज लाभ लेकर अनावेदक क0 02 पंचू द्वारा उनसे बिना बताये कुछ दस्तावेजों पर अंगूठा निशानी लगवाकर एक आवेदनपत्र उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के बिकय की

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2561/I/2016 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **किरचन सौंर व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.9.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदकगण की ओर से उनके बिद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी, अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 13/बी121/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 05/12/1988 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी के साथ अधिनस्थ न्यायालय के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदकगण की ओर से निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र भी मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण के बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो निगरानी आवेदनपत्र में लेख किये गये हैं। प्रकरण में विधि का प्रश्न निहित होने तथा बिलंब का समाधानप्रद एवं पर्याप्त कारण होने के कारण बिलंब माफ करके निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। आवेदक की ओर से निगरानी के साथ आलोच्य आदेश से संबंधित संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि की गई है, जिस कारण से निगरानी का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया जा रहा है। 3– प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण के पिता दिबिया तनय अमान सौंर के नाम पर ग्राम तखा, में खसरा नंबर 100 में रकवा 1.574 हैक्टेयर भूमि, भूमि–स्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जिसके बिक्रय की अनुमति अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान करने पर उपरोक्त भूमि का बिक्रय पत्र अनावेदक कमांक 02 के नाम पर हो गया। आवेदकगण के पिता भूमिहीन हो गये। इस भूमि के	

अलावा आवेदकगण के पिता के नाम से कोई भूमि नहीं थी। आवेदकगण अनुसूचित जाति के हैं। उसी कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 05/12/1989 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4— आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार दिविया तनय अमान सौंर के नाम से एक आवेदनपत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया गया कि प्रार्थी दिबिया सौंर ग्राम तखा की बवड़ खबड़, पथरीली, कृषि के अयोग्य भूमि बिक्रय करना चाहता है, तथा ग्राम अनंतपुरा के धर्मा चमार की भूमि खसरा नंबर 1/जु रकवा 0.162 आर0 ए0 क्रय करने हेतु तैयार है। आवेदक दिबिया की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र में आवेदिका भूमि का ना तो खसरा नंबर ही लेख है, ना ही रकवा लेख है, ना ही उसके साथ शपथपत्र संलग्न है। जिसके आधार पर तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण प्रारंभ किया गया। दिनांक 24/02/1988 एवं 09/05/1988 को पटवारी हल्का एवं रानि0 द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिसमें पटवारी, रानि द्वारा लेख किया गया है कि, आवेदित भूमि कंकड़ीली पथरीली है, कृषि कार्य के योग्य नहीं है। यह भी लेख किया है कि इस भूमि के अलावा आवेदक दिविया के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। यह तथ्य कहीं भी लेख नहीं किया है कि आवेदक धर्मा की भूमि क्रय करना चाहता है। जिनके आधार पर प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन तैयार करके अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेजा गया। अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर द्वारा भी उप पंजीयक से गईड लाईन तलब करके अपनी आदेश पत्रिका दिनांक 19/10/1988 में लेख किया है कि आवेदक किस भूमि को क्रय कर रहा है , उसका खसरा नंबर भी प्राप्त किया जाबे, किन्तु बाद में क्यों उपरोक्त खसरा नंबर एवं बिक्रेता का नाम प्राप्त नही केया गया स्पष्ट नहीं है। कलेक्टर द्वारा दिनांक 05/12/1988 को प्रश्नाधीन आदेश पारित करके आवेदक दिबिया को भूमि खसरा नंबर 100 रकवा 1.574 के बिक्रय की अनुमति अपने प्रकरण क्रमांक 13/बी121/1987–88 पर प्रदान कर दी। किन्तु इस बात का स्पष्टीकरण कहीं भी लेख नहीं किया कि जहां आवेदक दिबिया भूमिहीन हो रहा है, उसके

द्वारा किसकी भूमि क्रय की जा रही है ना ही भूमि का बिक्रय होने के उपरांत कभी यह जानने का प्रयास किया गया कि दिबिया द्वारा कहीं अन्य स्थान पर भूमि क्रय की गई कि नहीं। जबकि आवेदनपत्र इसी आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक धर्मा की भूमि क्रय करेगा। म0 प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 165(6)(दो) में स्पष्ट प्रावधना है कि *''खंड एक के अधीन अधिसूचना में बिनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे ब्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्व किये जाने बाले कारणों से दी जाबेगी, बिक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संब्यवहार के परिणाम स्वरूप ना तो अंतरित किया जाबेगा ना ही अंतरणीय होगा। ''*

5— आवेदक दिबिया द्वारा जो भूमि के बिकय हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें उसके द्वारा भूमि का खसरा नंबर एवं रकवा लेख नहीं किया गया है, ना ही उसकी प्रतिलिपियां प्रस्तुति कीं गईं हैं। 1968 रानि 518 में ब्यवस्था दी गई है कि, *''कलेक्टर की अनुज्ञा बिक्रय के पूर्व मांगी जाबेगी और आवेदन में प्रस्ताबित केता का नाम, बिक्रय की जाने बाली भूमि का बर्णन, प्राप्त होने बाले प्रतिफल तथा बे कारण जिनके आधार पर उस ब्यक्ति को बिक्रय किया जा रहा है, लिखा जाना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं बातों पर बिचार करके कलेक्टर अनुज्ञा देगा। ''* आवेदनपत्र में भूमि बिक्रय का आधार मात्र कंकड़ीली पथरीली , अनुपजाउ भूमि होना लेख किया गया है जो कि समाधान कारक नहीं था।

6— संपूर्ण प्रकरण एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा ना तो आवेदनपत्र में दर्शाये करणों के समर्थन में कोई शपथपत्र प्रस्तुत कराया गया ना ही कथन लेखबद्व कराये गये, ना ही भूमि की गुणबत्ता के संबंध में कोइ पंचनामा ही बनाया गया। संपूर्ण कार्यवाही मात्र पटवारी के प्रतिवेदन पर आधारित है। जिससे यह प्रबल संभावना है कि पटवारी द्वारा केता के प्रभाव में आकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो। उपरोक्त तथ्य से आवेदकगण की इस बात को भी बल मिलता है कि दबिया को अंधेरे में रखकर उसकी जानकारी एवं सहमति के बगैर अंगूठा लगवाकर अनुमति प्राप्त की गई थी। वादग्रस्त भूमि टीकमगढ़ शहर जो जिला मुख्यालय है, उससे 05 किमी की परिधि के अंदर आती है,

जिससे भूमि बेशकीमती थी।

7— आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र में धर्मा नामक व्यक्ति से भूमि क्रय करने का तथ्य भी लेख किया था, फिर उसे आदेश पारित करते समय नजर अंदाज क्यों किया गया स्पष्ट नहीं है। कलेक्टर द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करते समय ना तो बिधिवत रूप से जांच की गई है, ना ही यह प्रयास किया गया है कि आवेदक को उस भूमि की जगह पर तबादला में अन्य स्थान पर उपजाउ भूमि दे दी जावे ताकि आवेदक दिबिया भूमिहीन न हो, ना ही यह प्रयास किया कि बिक्रय से जो भी प्रतिफल प्राप्त होगा, उससे वह आवेदित भूमि या अन्य भूमि क्रय करे, ना ही उपरोक्त तथ्यों का कहीं भी आदेश में समावेश किया गया है। जिस कारण से प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/12/1988 विधि एवं प्रावधानों के बिपरीत होने से निरस्त किया जाकर उसके आधार पर किया गया अंतरण शून्यवत घोषित किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि, प्रकरण की वादभूमि का कब्जा शासन के पक्ष में लेकर पूर्ववत आवेदक दिबिया के फौत होने की दशा में उसके बिधिक बारिसानों को प्रदान किया जावे, तथा वादभूमि दिबिया के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करके उसके सभी विधिक वारिसानों के नाम पर राजस्व अभिलेख में पूर्ववत दर्ज की जावे। संबंधित क्रेता/अनावेदक यदि चाहे तो माननीय व्यवहार न्यायालय में पृथक से वाद प्रस्तुत करके आवेदकगण से बिक्रय पत्र की राशि वापिस प्राप्त करने की कार्यवाही विधि अनुसार करने वावद स्वतंत्र है। संबंधित तहसीलदार आदेश का पालन करें। पक्षकार सूचित हो। राजस्व मंडल का यह प्रकरण परिणम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य